न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 12 / 2023	2023 / 419	30.10.2023	21.05.2024

1– बाबू लाल पुत्र स्व0 कासीराम जाति अहीर निवासी ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2928 निर्णय दिनाक 21.10.2022 ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास

उपस्थित–

01. श्री धीरसिंह चौधरी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 2928 निर्णय दिनांक 21.10.2022 ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 443 रकबा 0.73 है0 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 हाल 443 रकबा 0.73 है0 (2 बिघा 18 बिस्वा) ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास में स्थित है, उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन जोहड दर्ज रिकार्ड है। मौके पर कोई जोहड नही है, मात्र पहाड के पानी के बहाव से खेत नही कटे, इस लिये मेड बन्दी की हुयी है, जिसको गलत रूप से पाल बताया गया है। नामान्तकरण संख्या 265 दिनाक 13.10.1977 के अनुसार विवादित हाल आराजी खसरा न0 443 रकबा 0.73 है0 (2 बिधा 18 बिस्वा) सोहनलाल पुत्र रामस्वरूप जाति चमार साकिन ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास गैर खातेदार सिवायचक बिला लगानी रकबे से अलोटमेंन्ट कमेटी सब डिविजनल ऑफिसर किशनगढबास दर्ज रिकार्ड हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1428 दिनाक 02.08.2001 से विवादित आराजी खसरा न0 हाल 433 रकबा 2 बिधा 18 बिस्वा का सोहनलाल का आंवटन निरस्त किया गया। चूकि जिस समय सोहनलाल को आंवटन हुआ उससे पहले से ही हम अपीलान्टस उक्त विवादित आराजी पर बहिस्से बराबर–बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। खसरा परिवर्तनशील पी–14 में नियमित रूप से हम अपीलान्टस के नाम का अंकन बदस्तुर चला आ रहा है। जब मौके के अनुसार जो जमीन सोहनलाल को अलोट हुई अलाटमेंन्ट के समय यानि 1975 के समय अलोटी का कब्जा नही था, बल्कि अलाटमेन्ट से बहुत पहले से ही हम अपीलान्टस का कब्जा काश्त था, हम अपीलान्टस की फसल बोते व दरो करते चले आ रहे है तथा मौके पर आम व अन्य फलदार वृक्ष हम अपीलान्टस ने लगाये हुये है। आराजी खसरा न0 433 रकबा 2 बिधा 18 बिस्वा पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस में किस्म बारानी दोयम कस्टोडियन सिवायचक दर्ज है। जबकि मौके पर कोई गैरमुमकिन जोहड होता तो सोहनलाल को अलोटमेन्ट नही होता राजस्व कर्मचारीयो ने पूर्व रिकार्डस ऑफ राईटस का गहनता से अवलोकन किये बिना पूर्व की हम अपीलान्टस की कब्जा काश्त की जॉच किये बिना अलोटमेन्ट किया और अलोटी का कब्जा न होने के कारण उसका अलोटमेन्ट निरस्त किया गया। जबकि अलोटमेन्ट करते समय काबिज काश्त करने वाले हम अपीलान्टस को कानूनन नोटिस दिया जाना चाहिये था, किन्तु बिना नोटिस दिये बाला–बाला इकतरफा में पूर्व रिकार्डस ऑफ राईटस के विपरित हाल जमाबन्दीयो में गैरमुमकिन जोहड दर्ज कर दिया। जबकि भू0 प्रबन्ध विभाग को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार बंदोबस्त के दौरान पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस में परिवर्तन कर नवीन अंकन करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नही था। मौके पर कोई जोहड कायम नही है, न ही

पहले कभी था, पहले भी हम अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त था, और वर्तमान में भी हम अपीलान्टस उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्तकारी व हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तहसीलदार किशनगढबास ने दिनाक 08.07.2022 को अपनी जॉच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है, कि आराजी पूर्व मे बारानी दोयम कस्टोडियन सिवायचक दर्ज थी और आज गैरमुमकिन जोहड दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनाक 14.12.2021 से यह बात पूर्णतया साबित होती है, कि हम अपीलान्टस का नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है। भू0 प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयान को पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस जो कि पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस मे विवादित आराजी जो बारानी दोयम कस्टोडियन सिवायचक दर्ज है उसको ताहाल रिकार्ड ऑफ राईटस के विवरित गैर मुमकिन जोहड दर्ज करने का अधिकार नही है, मौके की कब्जा काश्त की जॉच किये बगैर ताहाल रिकार्ड में विवादित आराजी को गैरमुमकिन जोहड दर्ज किया गया है, अपीलान्टस के विधिक अधिकारो के विपरित है। जिसके कारण हम अपीलान्टस उक्त विवादित आराजी के ताहाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे अंकन गैरमुमकिन जोहड को हजफ करवाकर अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है जिस हेतु हम अपीलान्टस ने नियमित वाद बअनुवान बाबूलाल बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास मे पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.10.2022 नामान्तकरण संख्या 2928 ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, क्योकि तहत अदालत द्वारा हम अपीलान्टस की गैरहाजरी में बिना कोई नोटिस जारी किये प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित पीडित पक्षकार को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर पारित किया गया है। पारित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हम अपीलान्टस को दिनाक 30.05.2023 को हुई जब पटवारी ने हम अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गये। जानकारी होने पर दिनाक 30.05.2023 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनाक 30.05.2023 को तैयार होकर सायंकाल प्राप्त हुयी। दिनाक 01.06.2023 को नकल वकील को दिखाकर कानूनी राय ली गयी। जिस पर दिनाक 02.06.2023 को अपील किये जाने हेतु आवश्यक इन्तजाम कर बिना देरी किये अपील की गयी है, अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 30.05.2023 से अन्दर मियाद अपील की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही हो सकी है, अपील किये जाने में जो समय गुजरा है, अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.10.2022 निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्टान ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2928 ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास निर्णय दिनांक 21.10.2022 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 13.07.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 8 माह दो 12 दिवस पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 21.10.2022 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 30.05.2023 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन जोहड दर्ज रिकार्ड है। मौके पर कोई जोहड नही है, मात्र पहाड के पानी के बहाव से खेत नही कटे, इस लिये मेड बन्दी की हुयी है, जिसको गलत रूप से पाल बताया गया है। नामान्तकरण संख्या 265 दिनाक 13.10.1977 के अनुसार विवादित हाल आराजी खसरा न0 443 रकबा 0.73 है0 (2 बिधा 18 बिस्वा) सोहनलाल पुत्र रामस्वरूप जाति चमार साकिन ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास गैर खातेदार सिवायचक बिला लगानी रकबे से अलोटमेंन्ट कमेटी सब डिविजनल ऑफिसर किशनगढबास दर्ज रिकार्ड हुआ। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 1428 दिनाक 02.08.2001 से विवादित आराजी खसरा न0 हाल 433 रकबा 2 बिधा 18 बिस्वा का सोहनलाल का आंवटन निरस्त किया गया। चूकि जिस समय सोहनलाल को आंवटन हुआ उससे पहले से ही हम अपीलान्टस उक्त विवादित आराजी पर बहिस्से बराबर–बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। खसरा परिवर्तनशील पी–14 में नियमित रूप से हम अपीलान्टस के नाम का अंकन बदस्तुर चला आ रहा है। जब मौके के अनुसार जो जमीन सोहनलाल को अलोट हुई अलाटमेंन्ट के समय यानि 1975 के समय अलोटी का कब्जा नही था, बल्कि अलाटमेन्ट से बहुत पहले से ही हम अपीलान्टस का कब्जा काश्त था, आराजी खसरा न0 433 रकबा 2 बिधा 18 बिस्वा पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस में किस्म बारानी दोयम कस्टोडियन सिवायचक दर्ज है। जबकि मौके पर कोई गैरमुमकिन जोहड होता तो सोहनलाल को अलोटमेन्ट नही होता राजस्व कर्मचारीयो ने पूर्व रिकार्डस ऑफ राईटस का गहनता से अवलोकन किये बिना

पूर्व की हम अपीलान्टस की कब्जा काश्त की जॉच किये बिना अलोटमेन्ट किया और अलोटी का कब्जा न होने के कारण उसका अलोटमेन्ट निरस्त किया गया। जबकि अलोटमेन्ट करते समय काबिज काश्त करने वाले हम अपीलान्टस को कानूनन नोटिस दिया जाना चाहिये था, किन्तु बिना नोटिस दिये बाला–बाला इकतरफा में पूर्व रिकार्डस ऑफ राईटस के विपरित हाल जमाबन्दीयो में गैरमुमकिन जोहड दर्ज कर दिया। जबकि भू0 प्रबन्ध विभाग को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार बंदोबस्त के दौरान पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस में परिवर्तन कर नवीन अंकन करने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नही था। हम अपीलान्टस का नियमित रूप से कब्जा चला आ रहा है। भू0 प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयान को पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस जो कि पूर्व रिकार्ड ऑफ राईटस में विवादित आराजी जो बारानी दोयम कस्टोडियन सिवायचक दर्ज है उसको ताहाल रिकार्ड ऑफ राईटस के विवरित गैर मुमकिन जोहड दर्ज करने का अधिकार नही है, मौके की कब्जा काश्त की जॉच किये बगैर ताहाल रिकार्ड में विवादित आराजी को गैरमुमकिन जोहड दर्ज किया गया है, अपीलान्टस के विधिक अधिकारो के विपरित है। जिसके कारण हम अपीलान्टस उक्त विवादित आराजी के ताहाल राजस्व रिकार्ड में हो रहे अंकन गैरमुमकिन जोहड को हजफ करवाकर अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण न्यायालय के आदेश अनुसार दर्ज किया जाकर तहत अदालत द्वारा दिनाक 21.10.2022 को निर्णित किया गया है, अपीलान्ट द्वारा उक्त उल्लेखित न्यायालय आदेश के बारे में अपील में कही कोई उल्लेख अंकित नही किया गया है, अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2928 ग्राम मोठूका में वर्णित आराजी पूर्व में सिवायचक आराजी थी बाद में आराजी गैरमुमकीन जोहड दर्ज किया गया है। तहत अदालत में अपीलान्ट पक्षकार नही था, न ही अपीलान्ट के नाम आराजी है, अपीलान्ट द्वारा यह अपील केवल कब्जे को आधार मानकर पेश की गयी है, जो न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2928 निर्णय दिनाक 21.10.2022 यथावत यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)